## हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

# अधिसूचना

## दिनांक, 2 दिसम्बर, 2025

संख्या वि०स0-विधायन-विधेयक / 1–135 / 2025.—हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम–140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 23) जो आज दिनांक 2 दिसम्बर, 2025 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्वसाधारण को सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

हस्ताक्षरित / – (यशपाल), सचिव, हि0 प्र0 विधान सभा।

\_\_\_\_\_

2025 का विधेयक संख्यांक 23

# हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2025

## खण्डों का क्रम

#### खण्ड:

- 1. संक्षिप्त नाम।
- 2. धारा २ का संशोधन।
- 3. धारा १४ का संशोधन।
- 4. धारा २४ का संशोधन।
- 5. धारा ६६ का संशोधन।
- धारा 82 का संशोधन।
- 7. धारा ८३ का संशोधन।
- ८. धारा १११ का संशोधन।
- 9. धारा 113 का संशोधन।
- 10. धारा 114 का संशोधन।
- 11. धारा 115 का संशोधन।
- 12. धारा 124 का संशोधन।
- 13. धारा 125 का संशोधन।

- 14. धारा 126 का संशोधन।
- 15. धारा 127 का संशोधन।
- 16. धारा 128 का संशोधन।
- 17. धारा 129 का संशोधन।
- 18. धारा 133 का संशोधन।
- 19. धारा 134 का संशोधन।
- 20. धारा 135 का संशोधन।
- 21. धारा 140 का संशोधन।
- 22. धारा १४१ का संशोधन।
- 23. धारा 143 का संशोधन।
- 24. धारा 148 का संशोधन।
- 25. धारा १४९ का संशोधन।
- 26. धारा 150 का संशोधन।
- 27. धारा 150-क का संशोधन।
- 28. धारा 152 का संशोधन।
- 29. धारा 159 का संशोधन।
- 30. धारा 162 का संशोधन।
- 31. धारा 166 का संशोधन।
- 32. धारा 172 का संशोधन।
- 33. धारा 173 का संशोधन।
- 34. धारा 175 का संशोधन।
- 35. धारा 180 का संशोधन।
- 36. धारा 183 का संशोधन।
- 37. धारा १८४ का संशोधन।
- 38. धारा १९१ का संशोधन।
- 39. धारा 192 का संशोधन।
- 40. धारा 193 का संशोधन।
- 41. धारा 196 का संशोधन।
- 42. धारा 197 का संशोधन।
- 43. धारा 198 का संशोधन।
- . ४४. धारा १९९ का संशोधन।
- 45. धारा २०० का संशोधन।
- 46. धारा २०७ का संशोधन।
- 47. धारा २११ का संशोधन।
- 48. धारा २१६ का संशोधन।
- 49. धारा 221 का संशोधन।
- 50. धारा २२७ का संशोधन।
- 51. धारा २४० का संशोधन।
- 52. धारा २५५ का संशोधन।
- 53. धारा २७७ का संशोधन।
- 54. धारा ३०४—क का संशोधन।
- 55. धारा ३०४—ख का संशोधन।
- 56. धारा ३०४–ग का संशोधन।
- 57. धारा ३०४–घ का संशोधन।

- 58 धारा ३०४—ङ का संशोधन।
- 59. धारा ३०४—च का संशोधन।
- 60. धारा ३०४–छ का संशोधन।
- 61. धारा ३०४—ज का संशोधन।
- 62. धारा ३०४–झ का संशोधन।
- 63. धारा 304—ट का संशोधन।
- 64. धारा ३०४–ट का संशोधन।
- 65. धारा ३०४—ड का संशोधन।
- 66. धारा ३०४-ढ का संशोधन।
- 67. धारा ३०४-ण का संशोधन।
- 68. धारा ३०४–थ का संशोधन।
- 69. धारा ३०४–द का संशोधन।
- 70. धारा ३०४–ध का संशोधन।

\_\_\_\_\_

## 2025 का विधेयक संख्यांक 23

# हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2025

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 13) का और संशोधन करने के लिए **विधेयक**।

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधानसभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

- 1. संक्षिप्त नाम.—इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2025 है।
- 2. धारा 2 का संशोधन.—हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 (जिसे इसमें इसके पश्चात् ''मूल अधिनियम'' कहा गया है) की धारा 2 के खंड (2) से पूर्व निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—
  - "(1) "लेखा परीक्षा अभिकरण" से, प्रधान महालेखाकार लेखापरीक्षा, हिमाचल प्रदेश अभिप्रेत है, जिसके तकनीकी मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण के अधीन निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा नगरपालिकाओं के खातों की लेखा परीक्षा संचालित की जाएगी, जिसे नगरपालिकाओं के खातों की लेखा परीक्षा संचालित करने के लिए नगरपालिकाओं की सुसंगत सूचनाओं और अभिलेखों तक पहुंच प्राप्त होगी;"।
- 3. धारा 14 का संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 14 की उप—धारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित उप—धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्ः—

- "(4) जब किसी नगरपालिका परिषद् के क्षेत्र का कोई भाग, उसकी पदावधि के दौरान, नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 3 की उप—धारा (2) (1994 का 12) के अधीन नगर निगम घोषित किया जाता है, तो ऐसी घोषणा, उप—धारा (1) में विनिर्दिष्ट नगरपालिका परिषद् की कालावधि की समाप्ति या इस अधिनियम की धारा 271 के अंतर्गत उसके विघटन तक, नगरपालिका परिषद् के सदस्यों की पदावधि को प्रभावित नहीं करेगी।"।
- **4. धारा 24 का संशोधन.**—मूल अधिनियम की धारा 24 की उप—धारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

''परन्तु, यथास्थिति, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या उपायुक्त, त्यागपत्र प्रस्तुत किए जाने की तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर, यदि उसे वापिस नहीं लिया गया हो, त्यागपत्र को स्वीकार करेगा। त्यागपत्र की स्वीकृति के तुरन्त पश्चात् उपायुक्त उक्त रिक्ति की सूचना निदेशक तथा सरकार को प्रेषित करेगा।''।

5. धारा 66 का संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 66 में "।" चिन्ह के स्थान पर ";" चिन्ह रखा जाएगा और तत्पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थातः—

''परन्तु यदि पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान उपयोक्ता प्रभारों की वसूली नहीं की गई हो, तो उक्त प्रभारों को, उस पर लगने वाले जुर्माने सिहत, संपत्ति कर के बकाया के रूप में जोड़ा जाएगा।''।

- 6. **धारा 82 का संशोधन.**—मूल अधिनियम की धारा 82 की उप–धारा (2) में, ''पाँच सौ रुपए और अधिक से अधिक दो हजार रुपए'' शब्दों के स्थान पर ''दो हजार रुपए और अधिक से अधिक पाँच हजार रूपए'' शब्द रखे जाएंगे।
- 7. धारा 83 का संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 83 की उपधारा (5) में, "पांच सौ रुपए और अधिक से अधिक दो हजार रूपए होगा, और अनवरत भंग की दशा में, ऐसे अतिरिक्त जुर्माने से दण्डनीय होगा, जो प्रथम दिन के पश्चात् प्रत्येक ऐसे दिन के लिए, जिसके दौरान भंग जारी रहता है, पचास रुपए होगा" शब्दों और चिन्हों के स्थान पर "दो हजार रुपए और अधिक से अधिक पाँच हजार रुपए होगा, और अनवरत भंग की दशा में, ऐसे अतिरिक्त जुर्माने से दण्डनीय होगा, जो प्रथम दिन के पश्चात् प्रत्येक ऐसे दिन के लिए, जिसके दौरान भंग जारी रहता है, पाँच सौ रुपए होगा" शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे।"।
- 8. धारा 111 का संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 111 की उप—धारा (4) में, "पांच सौ रुपए तथा अधिक से अधिक दो हजार रुपए" शब्दों के स्थान पर "दो हजार रुपए और अधिक से अधिक पाँच हजार रुपए " शब्द रखे जाएंगे।
- 9. धारा 113 का संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 113 के खण्ड (ख) में, ''पांच सौ रूपए तथा अधिक से अधिक दो हजार रुपए'' शब्दों के स्थान पर ''दो हजार रुपए और अधिक से अधिक पांच हजार रुपए'' शब्द रखे जाएंगे।
- **10. धारा 114 का संशोधन.**—मूल अधिनियम की धारा 114 में, ''दो सौ'' शब्दों के स्थान पर ''एक हजार'' शब्द रखे जाएंगे।

- **11. धारा 115 का संशोधन.—**मूल अधिनियम की धारा 115 में, ''दो सौ'' शब्दों के स्थान पर ''एक हजार'' शब्द रखे जाएंगे।
- 12. धारा 124 का संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 124 की उप—धारा (2) में, "पांच सौ रुपए और अधिक से अधिक दो हजार रुपए होगा और प्रत्येक ऐसे दिन के लिए, जिसके दौरान अपराध होता रहता है, अतिरिक्त जुर्माने से दण्डनीय होगा, जो पचास रुपए होगा" शब्दों और चिन्हों के स्थान पर "दो हजार रुपए और अधिक से अधिक पाँच हजार रुपए होगा और प्रत्येक ऐसे दिन के लिए, जिसके दौरान अपराध होता रहता है, अतिरिक्त जुर्माने से दण्डनीय होगा, जो पाँच सौ रुपए होगा" शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे।
- 13. धारा 125 का संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 125 की उप—धारा (4) में, "एक हजार रुपए और अधिक से अधिक चार हजार रुपए होगा और प्रत्येक ऐसे दिन के लिए, जिसके दौरान अपराध चालू रहता है, एक सौ रुपए " शब्दों और चिन्हों के स्थान पर "दो हजार रुपए और अधिक से अधिक पाँच हजार रुपए होगा और प्रत्येक ऐसे दिन के लिए, जिसके दौरान अपराध जारी रहता है, पाँच सौ रुपए " शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे।
- 14. धारा 126 का संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 126 की उपधारा (3) में, ''दौ हजार पांच सौ रुपए और अधिक से अधिक दस हजार रुपए होगा और यदि भंग जारी रहता है, तो प्रत्येक ऐसे दिन के लिए, प्रथम भंग के पश्चात् जिसके दौरान भंग जारी रहता है, दो सौ रुपए के अतिरिक्त जुर्माने से दण्डनीय होगा'' शब्दों और चिन्हों के स्थान पर ''दो हजार रुपए और अधिक से अधिक पाँच हजार रुपए होगा, और यदि भंग जारी रहता है तो प्रत्येक ऐसे दिन के लिए, प्रथम भंग के पश्चात् जिसके दौरान भंग जारी रहता है, पांच सौ रुपए के अतिरिक्त जुर्माने से दण्डनीय होगा'' शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे।
- 15. धारा 127 का संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 127 की उप—धारा (2) में, "पांच सौ रुपए और अधिक से अधिक दो हजार रुपए होगा और यदि अपराध जारी रहता है तो अतिरिक्त शास्ति, जो प्रत्येक ऐसे दिन के लिए जिसके दौरान अपराध जारी रहता है, एक सौ रुपए हो सकती है" शब्दों और चिन्हों के स्थान पर "दो हजार रुपए और अधिक से अधिक पाँच हजार रुपए होगा और यदि अपराध जारी रहता है तो अतिरिक्त शास्ति, जो प्रत्येक ऐसे दिन के लिए जिसके दौरान अपराध जारी रहता है, पाँच सौ रुपए हो सकती है" शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे।
- 16. धारा 128 का संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 128 की उप—धारा (2) में, "एक हजार रुपए और अधिक से अधिक पांच हजार रुपए होगा और प्रत्येक ऐसे दिन के लिए, जिसके दौरान अपराध जारी रहता है, दौ सौ रुपए के अतिरिक्त जुर्माने से दण्डनीय होगा" शब्दों और चिन्हों के स्थान पर "दो हजार रुपए और अधिक से अधिक पांच हजार रुपए होगा, और प्रत्येक ऐसे दिन के लिए, जिसके दौरान अपराध जारी रहता है, पांच सौ रुपए के अतिरिक्त जुर्माने से दण्डनीय होगा" शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे।
- 17. धारा 129 का संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 129 की उप—धारा (3) में, "पांच सौ रुपए और अधिक से अधिक दो हजार रुपए, और प्रत्येक ऐसे दिन के लिए, जिसके दौरान अपराध जारी रहता है, पचास रुपए के अतिरिक्त जुर्माने से" शब्दों और चिन्हों के स्थान पर "दो हजार रुपए और अधिक से अधिक पांच हजार रुपए और प्रत्येक ऐसे दिन के लिए, जिसके दौरान अपराध जारी रहता है, पांच सौ रुपए के अतिरिक्त जुर्माने से" शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे।
- **18. धारा 133 का संशोधन.**—मूल अधिनियम की धारा 133 की उप–धारा (2) में, ''पांच सौ रुपए और अधिक से अधिक दो हजार रुपए होगा और यदि कोई नोटिस जारी किया जाता है तो हटाए जाने के

लिए अनुज्ञात अविध की समाप्ति के पश्चात्, जिसके दौरान अपराध जारी रहता है, प्रत्येक दिन के लिए पचास रुपए के अतिरिक्त जुर्माने से दण्डनीय होगा" शब्दों और चिन्हों के स्थान पर "दो हजार रुपए और अधिक से अधिक पांच हजार रुपए होगा, और यदि कोई नोटिस जारी किया जाता है तो हटाए जाने के लिए अनुज्ञात अविध की समाप्ति के पश्चात्, जिसके दौरान अपराध जारी रहता है, प्रत्येक दिन के लिए पांच सौ रुपए के अतिरिक्त जुर्माने से दण्डनीय होगा" शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे।

- 19. धारा 134 का संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 134 में, ''दो हजार पांच सौ रुपए से कम नहीं होगा और दस हजार रुपए से अधिक नहीं होगा'' शब्दों के स्थान पर ''दो हजार रुपए से कम नहीं होगा और पांच हजार रुपए से अधिक नहीं होगा'' शब्द रखे जाएंगे।
- **20. धारा 135 का संशोधन.**—मूल अधिनियम की धारा 135 में, "पांच सौ रुपए और अधिक से अधिक दो हजार रुपए " शब्दों के स्थान पर "दो हजार रुपए और अधिक से अधिक पांच हजार रुपए" शब्द रखे जाएंगे।
- 21. धारा 140 का संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 140 की उप—धारा (2) में, "पांच सौ रुपए और अधिक से अधिक दो हजार रुपए" शब्दों के स्थान पर "दो हजार रुपए और अधिक से अधिक पांच हजार रुपए " शब्द रखे जाएंगे।
- 22. धारा 141 का संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 141 की उप—धारा (2) में, "दो हजार रुपए तक का किन्तु पाँच सौ रुपए से कम नहीं होगा" शब्दों के स्थान पर "पाँच हजार रुपए तक का किन्तु दो हजार रुपए से कम नहीं होगा" शब्द रखे जाएंगे।
- 23. धारा 143 का संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 143 के खण्ड (ग) में, ''पांच सौ रुपए और अधिक से अधिक दो हजार रुपए '' शब्दों के स्थान पर ''दो हजार रुपए और अधिक से अधिक पांच हजार रुपए'' शब्द रखे जाएंगे।
- 24. धारा 148 का संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 148 के खण्ड (ग) में, ''पांच सौ रुपए और अधिक से अधिक दो हजार रुपए'' शब्दों के स्थान पर ''दो हजार रुपए और अधिक से अधिक पांच हजार रुपए'' शब्द रखे जाएंगे।
  - **25. धारा 149 का संशोधन.**—मूल अधिनियम की धारा 149 में,—
  - (क) उप—धारा (1) में, ''पांच सौ रुपए के और प्रत्येक पश्चात्वर्ती अपराध के लिए एक हजार रुपए'' शब्दों के स्थान पर ''दो हजार रुपए के और प्रत्येक पश्चात्वर्ती अपराध के लिए पांच हजार रुपए '' शब्द रखे जाएंगे; और
  - (ख) उप—धारा (3) में, ''जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा,'' शब्दों के स्थान पर, ''दो हजार रुपए से कम नहीं होगा और पांच हजार रुपए से अधिक नहीं होगा'' शब्द रखे जाएंगे।
- **26. धारा 150 का संशोधन.**—मूल अधिनियम की धारा 150 में, ''एक हजार रुपए '' शब्दों के स्थान पर ''दो हजार रुपए'' शब्द रखे जाएंगे।

- 27. धारा 150-क का संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 150-क की उप-धारा (4) में, ''प्रथम अपराध के लिए पांच सौ रुपए तथा पश्चात्वर्ती अपराध के लिए सात सौ रुपए'' शब्दों के स्थान पर ''प्रथम अपराध के लिए दो हजार रुपए तथा पश्चात्वर्ती अपराध के लिए पाँच हजार रुपए'' शब्द रखे जाएंगे।
- 28. धारा 152 का संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 152 की उप—धारा (1) में, ''जुर्माना से, जो पाँच हजार रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा'' शब्दों के स्थान पर ''जुर्माना से, जो कम से कम दो हजार रुपए और जो पाँच हजार रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा'' शब्द रखे जाएंगे।
- 29. धारा 159 का संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 159 में, "पांच सौ रुपए और अधिक से अधिक दो हजार रुपए तक होगा" शब्दों के स्थान पर "दो हजार रुपए और अधिक से अधिक पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा" शब्द रखे जाएंगे।
- **30. धारा 162 का संशोधन.**—मूल अधिनियम की धारा 162 में, "पांच सौ रुपए और अधिक से अधिक दो हजार रुपए" शब्दों के स्थान पर "दो हजार रुपए और अधिक से अधिक पांच हजार रुपए" शब्द रखे जाएंगे।
- 31. धारा 166 का संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 166 की उप–धारा (3) में, " पांच सौ रुपए और अधिक से अधिक दो हजार रुपए तक होगा" शब्दों के स्थान पर "दो हजार रुपए और अधिक से अधिक पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा" शब्द रखे जाएँगे।
- 32. धारा 172 का संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 172 की उप—धारा (4) में, ''पांच सौ रुपए और अधिक से अधिक दो हजार रुपए'' शब्दों के स्थान पर ''दो हजार रुपए और अधिक से अधिक पांच हजार रुपए'' शब्द रखे जाएंगे।
- 33. धारा 173 का संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 173 की उप—धारा (4) में, ''पांच सौ रुपए और अधिक से अधिक दो हजार रुपए'' शब्दों के स्थान पर ''दो हजार रुपए और अधिक से अधिक पांच हजार रुपए'' शब्द रखे जाएंगे।
- 34. धारा 175 का संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 175 की उप—धारा (3) में, ''पांच सौ रुपए और अधिक से अधिक दो हजार तक होगा और जब उल्लंघन या अननुपालन जारी रहता है तो ऐसे अतिरिक्त जुर्माने से दण्डनीय होगा, जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान प्रथम उल्लंघन या अननुपालन जारी रहता है, पचास रूपए होगा'' शब्दों के स्थान पर ''दो हजार रुपए और अधिक से अधिक पांच हजार रुपए तक होगा और जब उल्लंघन या अननुपालन जारी रहता है तो ऐसे अतिरिक्त जुर्माने से दण्डनीय होगा, जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान प्रथम उल्लंघन या अननुपालन जारी रहता है, पांच सौ रुपए होगा'' शब्द रखे जाएंगे।
- **35. धारा 180 का संशोधन.**—मूल अधिनियम की धारा 180 में, ''एक सौ रुपए और अधिक से अधिक चार हजार रुपए'' शब्दों के स्थान पर ''दो हजार रूपए और अधिक से अधिक पांच हजार रुपए'' शब्द रखे जाएंगे।
- 36. धारा 183 का संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 183 की उप—धारा (1) में, ''पांच सौ रुपए और अधिक से अधिक दो हजार रुपए'' शब्दों के स्थान पर ''दो हजार रुपए और अधिक से अधिक पांच हजार रुपए'' शब्द रखे जाएंगे।

- **37. धारा 184 का संशोधन.**—मूल अधिनियम की धारा 184 की उप–धारा (2) में, ''पांच सौ रुपए और अधिक से अधिक दो हजार रुपए'' शब्दों के स्थान पर ''दो हजार रुपए और अधिक से अधिक पांच हजार रुपए'' शब्द रखे जाएंगे।
- 38. धारा 191 का संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 191 में, ''पांच सौ रुपए और अधिक से अधिक दो हजार रुपए'' शब्दों के स्थान पर ''दो हजार रुपए और अधिक से अधिक पांच हजार रुपए'' शब्द रखे जाएंगे।
- **39. धारा 192 का संशोधन.**—मूल अधिनियम की धारा 192 की उपधारा (1) में, ''पांच सौ रुपए और अधिक से अधिक दो हजार रुपए'' शब्दों के स्थान पर ''दो हजार रुपए और अधिक से अधिक पांच हजार रुपए'' शब्द रखे जाएंगे।
- **40. धारा 193 का संशोधन.**—मूल अधिनियम की धारा 193 की उपधारा (2) में, ''पांच सौ रुपए और अधिक से अधिक दो हजार रुपए'' शब्दों के स्थान पर ''दो हजार रुपए और अधिक से अधिक पांच हजार रुपए'' शब्द रखे जाएंगे।
- 41. धारा 196 का संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 196 की उप—धारा (1) में, "पांच सौ रुपए और अधिक से अधिक दो हजार रुपए" शब्दों के स्थान पर "दो हजार रुपए और अधिक से अधिक पांच हजार रुपए" शब्द रखे जाएंगे।
- 42. धारा 197 का संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 197 की उप—धारा (1) और (2) में, ''पांच सौ रुपए और अधिक से अधिक दो हजार रुपए'' शब्द जहां कहीं भी आते हैं; के स्थान पर क्रमशः ''दो हजार रुपए और अधिक से अधिक पांच हजार रुपए'' शब्द रखे जाएंगे।
- 43. धारा 198 का संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 198 में, ''पांच सौ रुपए से अन्यून और दो हजार रुपए'' शब्दों के स्थान पर ''दो हजार रुपए से अन्यून और अधिक से अधिक पांच हजार रुपए'' शब्द रखे जाएंगे।
- 44. धारा 199 का संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 199 में, ''पांच सौ रुपए और अधिक से अधिक दो हजार रुपए'' शब्दों के स्थान पर ''दो हजार रुपए और अधिक से अधिक पांच हजार रुपए'' शब्द रखे जाएंगे।
- **45. धारा 200 का संशोधन.**—मूल अधिनियम की धारा 200 में, ''पांच सौ रुपए और अधिक से अधिक दो हजार रुपए'' शब्दों के स्थान पर ''दो हजार रुपए और अधिक से अधिक पांच हजार रुपए'' शब्द रखे जाएंगे।
- 46. धारा 207 का संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 207 में, "एक हजार रुपए और अधिक से अधिक पांच हजार रुपए होगा, और यदि ऐसी दोषसिद्धि के पश्चात् वह ऐसे निर्माण का ऐसे प्रयोजन के लिए उपयोग करता है, तो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान उपयोग जारी रहता है, पांच सौ रुपए के अतिरिक्त जुर्माने का दायी होगा" शब्दों के स्थान पर "दो हजार रुपए और अधिक से अधिक पांच हजार रुपए होगा, और यदि ऐसी दोषसिद्धि के पश्चात् वह ऐसे निर्माण का ऐसे प्रयोजन के लिए उपयोग करता है, तो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान उपयोग जारी रहता है, पांच सौ रुपए के अतिरिक्त जुर्माने का दायी होगा" शब्द रखे जाएंगे।

- 47. धारा 211 का संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 211 की उप—धारा (5) में, "पांच सौ रुपए तक का हो सकता है, दायी होगा और जब अननुपालन जारी रहता है, तो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान अननुपालन जारी रहता है, अतिरिक्त जुर्माने का जो पाँच हजार रुपए तक का हो सकेगा, दायी होगा" शब्दों और चिन्हों के स्थान पर "दो हजार रुपए से अन्यून और जो पांच हजार रुपए तक हो सकेगा और जब अननुपालन जारी रहता है, तो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान अननुपालन जारी रहता है, तो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान अननुपालन जारी रहता है, अतिरिक्त जुर्माने का जो पाँच सौ रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा" शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे।
- 48. धारा 216 का संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 216 की उपधारा (1) में, "पांच हजार रुपए होगा और जब भंग चालू रहने वाला हो तो ऐसे अतिरिक्त जुर्माने से दण्डनीय होगा, जो प्रथम भंग के पश्चात् ऐसे दिन के लिए, जिसके दौरान चालू रहता है, एक सौ रूपए" शब्दों और चिन्हों के स्थान पर "दो हजार रुपए से अन्यून और जो पांच हजार रुपए तक हो सकेगा और जब भंग चालू रहने वाला हो तो ऐसे अतिरिक्त जुर्माने से दण्डनीय होगा, जो प्रथम भंग के पश्चात् ऐसे दिन के लिए, जिसके दौरान चालू रहता है, पांच सौ रुपए होगा" शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे।
- **49. धारा 221 का संशोधन.**—मूल अधिनियम की धारा 221 की उप—धारा (3) के खण्ड (i) में, ''पांच हजार रुपए तक हो सकेगा'' शब्दों के स्थान पर ''दस हजार रुपए से कम नहीं होगा और जो बीस हजार रुपए तक हो सकेगा'' शब्द रखे जाएंगे।
- **50. धारा 227 का संशोधन.**—मूल अधिनियम की धारा 227 में, "पांच सौ रुपए और अधिक से अधिक दो हजार रुपए" शब्दों के स्थान पर "दो हजार रुपए और अधिक से अधिक पांच हजार रुपए" शब्द रखे जाएंगे।
- 51. धारा 240 का संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 240 में, ''पांच सौ रुपए और अधिक से अधिक दो हजार रुपए'' शब्दों के स्थान पर ''दो हजार रुपए और अधिक से अधिक पांच हजार रुपए'' शब्द रखे जाएंगे।
  - 52. धारा 255 का संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 255 में,—
    - (क) उप–धारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:--
      - "(1) नगरपालिकाओं के खातों की लेखापरीक्षा हिमाचल प्रदेश के प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) और राज्य लेखापरीक्षा विभाग के निदेशक द्वारा की जाएगी, जिनके पास नगरपालिका की सुसंगत सुचना और अभिलेखों तक पहुंच होगी।
    - (ख) उप–धारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–
      - ''(1क) नगरपालिका के वार्षिक खाते राज्य लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश के लेखा परीक्षकों द्वारा प्रमाणित किए जाएंगेः

परन्तु नगरपालिका के खाते की लेखा परीक्षा प्रदेश के प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) के समग्र तकनीकी मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण के अधीन संचालित की जाएगी।"; और

(ग) उप–धारा (३) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात:-

- ''(3) प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा), हिमाचल प्रदेश की वार्षिक तकनीकी निरीक्षण रिर्पोट के साथ–साथ राज्य लेखा परीक्षा विभाग की वार्षिक रिपोर्ट को राज्य विधानमंडल के समक्ष रखा जाएगा।''।
- **53. धारा 271 का संशोधन.**—मूल अधिनियम की धारा 271 की उप—धारा (5) के पश्चात् निम्नलिखित उप—धाराएं रखी जाएंगी, अर्थात:—
  - "(6) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, जब इस कारण से कि नगर परिषद के सम्पूर्ण नगर क्षेत्र को नगर निगम के रूप में घोषित किया गया है या विद्यमान नगर निगम में शामिल किया गया है, तो राज्य सरकार राजपत्र (ई—गजट) में प्रकाशित आदेश द्वारा आदेश में विनिर्दिष्ट तारीख से नगर परिषद को भंग कर देगी।
  - (7) उप—धारा (6) के अधीन भंग की गई नगर परिषद के सदस्य सरकार के आदेश में विनिर्दिष्ट तारीख से अपने पद रिक्त कर देंगे।"
- **54. धारा 304—क का संशोधन.**—मूल अधिनियम की धारा 304—क में, ''कारावास से, जिसकी अविध तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से'' शब्दों के स्थान पर ''कारावास से, जिसकी अविध एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो बीस हजार रुपए तक हो सकेगा, या दोनों से'' शब्द रखे जाएंगे।
- 55. धारा 304—ख का संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 304—ख की उप—धारा (2) में, ''कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से'' शब्दों के स्थान पर ''कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो बीस हजार रुपए तक हो सकेगा, या दोनों से'' शब्द रखे जाएंगे।
- 56. धारा 304—ग का संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 304—ग की उप—धारा (1) में, ''कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो दो हजार रुपए तक हो सकेगा, या दोनों से'' शब्दों और चिन्हों के स्थान पर ''कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो बीस हजार रुपए तक हो सकेगा, या दोनों से'' शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे।
- 57. धारा 304—घ का संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 304—घ की उप—धारा (4) में, ''कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो दो हजार रुपए तक हो सकेगा, या दोनों से'' शब्दों और चिन्हों के स्थान पर ''कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो बीस हजार रुपए तक हो सकेगा, या दोनों से'' शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे।
- 58. धारा 304—ङ का संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 304—ङ की उप—धारा (2) में, ''कारावास से, जिसकी अविध तीन मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से'' शब्दों और चिन्हों के स्थान पर ''कारावास से, जिसकी अविध एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो बीस हजार रुपए तक हो सकेगा, या दोनों से'' शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे।
- **59. धारा 304—च का संशोधन.**—मूल अधिनियम की धारा 304—च की उप—धारा (3) में, ''कारावास से, जिसकी अवधि छः मास की हो सकेगी, या जूर्माने से, या दोनों से'' शब्दों और चिन्हों के

स्थान पर ''कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो बीस हजार रुपए तक हो सकेगा, या दोनों से'' शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे।

- 60. धारा 304—छ का संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 304—छ की उप—धारा (2) में, ''जो ढाई सौ रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा'' शब्दों के स्थान पर ''जो दस हजार रुपए और प्रत्येक ऐसे दिन के लिए, जिसके दौरान अपराध जारी रहता है, एक हजार रुपए तक के अतिरिक्त जुर्माने से दण्डनीय होगा'' शब्द रखे जाएंगे।
- 61. धारा 304—ज का संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 304—ज की उप—धारा (2) में, ''कारावास से, जिसकी अविध तीन मास की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से'' शब्दों और चिन्हों के स्थान पर ''कारावास से, जिसकी अविध एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो बीस हजार रुपए तक हो सकेगा, या दोनों से'' शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे।
- 62. धारा 304—झ का संशोधन.——मूल अधिनियम की धारा 304—झ की उप—धारा (3) में, ''कारावास से, जिसकी अविध तीन मास की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से' शब्दों और चिन्हों के स्थान पर ''कारावास से, जिसकी अविध एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो बीस हजार रुपए तक हो सकेगा, या दोनों से'' शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे।
- 63. धारा 304—ट का संशोधन.——मूल अधिनियम की धारा 304—ट में, ''कारावास से, जिसकी अविध तीन मास की हो सकेगी, या जुर्माने से,'' शब्दों और चिन्हों के स्थान पर ''कारावास से, जिसकी अविध एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो बीस हजार रुपए तक हो सकेगा, या दोनों से'' शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे।
- 64. धारा 304—ठ का संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 304—ठ की उप—धारा (1) में, ''जो पाँच सौ रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा'' शब्दों के स्थान पर ''जो दस हजार रुपए और प्रत्येक ऐसे दिन के लिए, जिसके दौरान अपराध जारी रहता है, एक हजार रुपए तक के अतिरिक्त जुर्माने से दण्डनीय होगा'' शब्द रखे जाएंगे।
- 65. धारा 304—ड का संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 304—ड में, ''कारावास से, जिसकी अविध तीन वर्ष की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से'' शब्दों और चिन्हों के स्थान पर ''कारावास से, जिसकी अविध एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो बीस हजार रुपए तक हो सकेगा, या दोनों से'' शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे।
- 66. धारा 304—ढ का संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 304—ढ की उप—धारा (2) में, ''कारावास से, जिसकी अविध दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से'' शब्दों और चिन्हों के स्थान पर ''कारावास से, जिसकी अविध एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो बीस हजार रुपए तक हो सकेगा, या दोनों से'' शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे।
- 67. धारा 304—ण का संशोधन.——मूल अधिनियम की धारा 304—ण की उप—धारा (1) में, "कारावास से, जिसकी अविध एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच सौ रुपए तक हो सकेगी, या दोनों से" शब्दों और चिन्हों के स्थान पर "कारावास से, जिसकी अविध एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो बीस हजार रुपए तक हो सकेगी, या दोनों से" शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे।
- 68. धारा 304—थ का संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 304—थ की उप—धारा (3) में ''जो पाँच सौ रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा'' शब्दों के स्थान पर ''जो दस हजार रुपए और प्रत्येक ऐसे

दिन के लिए, जिसके दौरान अपराध जारी रहता है, एक हजार रुपए तक के अतिरिक्त जुर्माने से दण्डनीय होगा'' शब्द रखे जाएंगे।

- 69. धारा 304-द का संशोधन.---मूल अधिनियम की धारा 304-द में,--
  - (i) सीमांत (पार्श्व) शीर्षक में, ''मतदान के दिन'' शब्दों के पश्चात् ''और गणना दिवस'' शब्द अंतःस्थापित किए जांएगे।
  - (ii) उप—धारा (1) में, ''मतदान की समाप्ति'' शब्दों के पश्चात् ''और गणना दिवस पर'' शब्द अंतःस्थापित किए जांएगे।
  - (iii) उप—धारा (2) में, ''कारावास से, जिसकी अवधि छह मास की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो दो हजार रुपए तक हो सकेगा, या दोनों से'' शब्दों और चिन्हों के स्थान पर ''कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो बीस हजार रुपए तक हो सकेगा, या दोनों से'' शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे।
- 70. धारा 304-ध का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 304-ध की उप-धारा (2) में,-
  - (क) खण्ड (क) में ''कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से'' शब्दों और चिन्हों के स्थान पर ''कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो बीस हजार रुपए तक हो सकेगा, या दोनों से'' शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे।
  - (ख) खण्ड (ख) में ''कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से'' शब्दों और चिन्हों के स्थान पर ''कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो बीस हजार रुपए तक हो सकेगा, या दोनों से'' शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे।

#### उद्देश्यों और कारणों का कथन

हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 में नगरपालिका प्रशासन को सुदृढ़ करने, वित्तीय उत्तरदायित्व बढ़ाने और इसके उपबन्धों को समकालीन प्रशासनिक एवं सामाजिक—आर्थिक आवश्यकताओं के अनुरूप लाने के लिए पुनरीक्षण की आवश्यकता है। नगरपालिका खातों के लिए विद्यमान लेखापरीक्षा संरचना को स्पष्ट वैधानिक समर्थन की आवश्यकता है, इसलिए विधेयक हिमाचल प्रदेश के प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) के तकनीकी पर्यवेक्षण के अधीन लेखापरीक्षा का उपबन्ध करता है। यह नगरपालिका वित्तीय प्रबन्धन में और अधिक पारदर्शिता, एकरूपता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने हेतु आशयित है।

यह विधेयक उन नगरपालिकाओं के सदस्यों के कार्यकाल को भी स्पष्ट करता है जिनके क्षेत्र बाद में नगर निगम में शामिल हो जाते हैं, जिससे विद्यमान अस्पष्टताएं दूर हो जाती हैं। यह रिक्तियों की स्वीकृति और अनिवार्य रिपोर्टिंग के लिए एक समयबद्ध प्रक्रिया शुरू करके सदस्यों के इस्तीफे की प्रक्रिया को भी सुव्यवस्थित करता है। नगरपालिका राजस्व को मजबूत करने के लिए, संशोधन में यह उपबन्ध लाया जाना है कि अवैतनिक उपयोक्ता शुल्क को संपत्ति कर के बकाया के रूप में माना जाएगा।

इस अधिनियम के अधीन कई जुर्माने और दंड लंबे समय से अपरिवर्तित रहे हैं और अब प्रभावी निवारक के रूप में कार्य नहीं करते हैं। यह विधेयक इन दंडों को तर्कसंगत और संशोधित करके उन्हें यथार्थवादी और प्रवर्तनीय बनाता है, जिससे भवन, स्वच्छता, जन सुरक्षा, लाइसेंसिंग और चुनाव संबंधी आचरण से संबंधित नगरपालिका कानूनों के अनुपालन में सुधार होगा। इन संशोधनों का सामुहिक उद्देश्य अधिनियम का आधुनिकीकरण, वित्तीय अनुशासन को बढ़ावा देना और राज्य में शहरी स्थानीय निकायों के कुशल संचालन को सुदृढ़ बनाना है।

यह विधयेक उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

(विक्रमादित्य सिंह) प्रभारी मंत्री।

धर्मशालाः तारीखः

\_\_\_\_\_

वित्तीय ज्ञापन

–शून्य–

\_\_\_\_\_

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

-शून्य-

\_\_\_\_

हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) विधयेक, 2025

(विधान सभा में पुर स्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 13) का और संशोधन करने के लिए **विधेयक**।

> (विक्रमादित्य सिंह) प्रभारी मंत्री।

\_\_\_\_\_

#### AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 23 of 2025.

#### THE HIMACHAL PRADESH MUNICIPAL (2nd AMENDMENT) BILL, 2025

## ARRANGMENT OF CLAUSES

#### Clauses:

- 1. Short title.
- 2. Amendment of section 2.
- 3. Amendment of section 14.
- 4. Amendment of section 24.
- 5. Amendment of section 66.
- 6. Amendment of section 82.
- 7. Amendment of section 83.
- 8. Amendment of section 111.
- 9. Amendment of section 113.
- 10. Amendment of section 114.
- 11. Amendment of section 115.
- 12. Amendment of section 124.
- 13. Amendment of section 125.
- 14. Amendment of section 126.
- 15. Amendment of section 127.
- 16. Amendment of section 128.
- 17. Amendment of section 129.
- 18. Amendment of section 133.
- 19. Amendment of section 134.
- 20. Amendment of section 135
- 21. Amendment of section 140.
- 22. Amendment of section 141.
- 23. Amendment of section 143.
- 24. Amendment of section 148.
- 25. Amendment of section 149.
- 26. Amendment of section 150.

- 27. Amendment of section 150-A.
- 28. Amendment of section 152.
- 29. Amendment of section 159.
- 30. Amendment of section 162.
- 31. Amendment of section 166.
- 32. Amendment of section 172.
- 33. Amendment of section 173.
- 34. Amendment of section 175.
- 35. Amendment of section 180.
- 36. Amendment of section 183.
- 37. Amendment of section 184.
- 38. Amendment of section 191.
- 39. Amendment of section 192.
- 40. Amendment of section 193.
- 41. Amendment of section 196.
- 42. Amendment of section 197.
- 43. Amendment of section 198.
- 44. Amendment of section 199.
- 45. Amendment of section 200.
- 46. Amendment of section 207.
- 47. Amendment of section 211.
- 48. Amendment of section 216.
- 49. Amendment of section 221.
- 50. Amendment of section 227.
- 51. Amendment of section 240.
- 52. Amendment of section 255.
- 53. Amendment of section 271.
- 54. Amendment of section 304-A.
- 55. Amendment of section 304-B.
- 56. Amendment of section 304-C.
- 57. Amendment of section 304-D.
- 58. Amendment of section 304-E.
- 59. Amendment of section 304-F.
- 60. Amendment of section 304-G.
- 61. Amendment of section 304-H.
- 62. Amendment of section 304-I.
- 63. Amendment of section 304-K.
- 64. Amendment of section 304-L.
- 65. Amendment of section 304-M.
- 66. Amendment of section 304-N.
- 67. Amendment of section 304-O.
- 68. Amendment of section 304-Q.
- 69. Amendment of section 304-R.
- 70. Amendment of section 304-S.

# THE HIMACHAL PRADESH MUNICIPAL (2nd AMENDMENT) BILL, 2025

(As Introduced in the Legislative Assembly)

Α

#### BILL

further to amend the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 (Act No.13 of 1994).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in Seventy-sixth Year of the Republic of India as follows:—

- **1. Short title.**—This Act may be called the Himachal Pradesh Municipal (2nd Amendment) Act, 2025.
- **2. Amendment of section 2.**—In section 2 of Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 (hereinafter referred to as the "principal Act"), before clause 2, the following clause shall be inserted, namely:—
  - "(1) "Audit Agency" means Principal Accountant General Audit, Himachal Pradesh, under whose technical guidance and supervision the audit of the accounts of Municipalities shall be conducted, by Director, the Himachal Pradesh State Audit Department who shall have the access to relevant information and record of municipalities for conducting audit of accounts of Municipalities;".
- **3. Amendment of section 14.**—In section 14 of the principal Act, after sub-section (3), following shall be inserted, namely:-
  - "(4) When a part of the area of any Municipal Council, during its term, is declared to be a Municipal Corporation under sub-section (2) of section 3 of the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994 (12 of 1994), the said declaration shall not affect the term of the members of Municipal Council, till the expiration of the duration of the Municipal Council(s) specified in sub-section (1) or its dissolution under section 271 of this Act.".
- **4. Amendment of section 24.**—In section 24 of the principal Act, after sub-section (3), following shall be inserted, namely:—

"Provided that the President or Vice-President or the Deputy Commissioner, as the case may be, shall accept the resignation within 15 days from the date of tendering

the resignation, unless withdrawn. Immediately after acceptance of resignation, the Deputy Commissioner shall cause to intimate the vacancy to the Director and to the Government.".

**5. Amendment of section 66.**—In section 66 of the principal Act, for the sign ":" shall be substituted and thereafter the following shall be inserted, namely:—

"Provided that if the user charges during the previous year is not realised, the same alongwith fine thereof shall be added as arrear of Property Tax.".

- **6. Amendment of section 82.**—In section 82 of the principal Act, in sub-section (2), for the words "five hundred rupees and more than two thousand rupees", the words, "two thousand rupees and more than five thousand rupees" shall be substituted.
- **7. Amendment of section 83.**—In section 83 of the principal Act, in sub-section (5), for the words "five hundred rupees and more than two thousand rupees and in the case of a continuing breach with a further fine of fifty rupees", the words "two thousand rupees and more than five thousand rupees and in the case of a continuing breach with a further fine of five hundred rupees" shall be substituted.
- **8. Amendment of section 111.**—In section 111 of the principal Act, in sub-section (4), for the words "five hundred rupees and more than two thousand rupees", the words, "two thousand rupees and more than five thousand rupees" shall be substituted.
- **9. Amendment of section 113.**—In section 113 of the principal Act, after clause (b), for the words "five hundred rupees and more than two thousand rupees", the words "two thousand rupees and more than five thousand rupees" shall be substituted.
- **10. Amendment of section 114.**—In section 114 of the principal Act, for the words "two hundred", the words "one thousand" shall be substituted.
- **11. Amendment of section 115.**—In section 115 of the principal Act, for the words "two hundred", the words "one thousand" shall be substituted.
- **12. Amendment of section 124.**—In section 124 of the principal Act, in sub-section (2), for the words "five hundred rupees and more than two thousand rupees and with a further fine of fifty rupees", the words "two thousand rupees and more than five thousand rupees and with a further fine of five hundred rupees" shall be substituted.
- **13. Amendment of section 125.**—In section 125 of the principal Act, in sub-section (4), for the words "one thousand rupees and more than four thousand rupees and with a further fine of rupees one hundred", the words "two thousand rupees and more than five thousand rupees and with a further fine of five hundred rupees" shall be substituted.
- **14. Amendment of section 126.**—In section 126 of the principal Act, in sub-section (3), for the words "two thousand five hundred rupees and more than two thousand rupees and when

the breach is a continuing one, with a further fine of two hundred rupees," the words "two thousand rupees and more than five thousand rupees and when the breach is a continuing one, with a further fine of five hundred rupees" shall be substituted.

- **15. Amendment of section 127.**—In section 127 of the principal Act, in sub-section (2), for the words "five hundred rupees and more than two thousand rupees and in case of a continuing offence to a further penalty of one hundred rupees", the words "two thousand rupees and more than five thousand rupees and in case of continuing offence to a further penalty of five hundred rupees" shall be substituted.
- **16. Amendment of section 128.**—In section 128 of the principal Act, in sub-section (2), for the words "one thousand rupees and more than five thousand rupees and with a further fine of two hundred rupees", the words "two thousand rupees and more than five thousand rupees and with a further fine of five hundred rupees" shall be substituted.
- 17. Amendment of section 129.—In section 129 of the principal Act, in sub-section (3), for the words and sign "five hundred rupees, and more than two thousand rupees and with a further fine of fifty rupees", the words "two thousand rupees and more than five thousand rupees and with a further fine of five hundred rupees" shall be substituted.
- **18. Amendment of section 133.**—In section 133 of the principal Act, in sub-section (2), for the words and signs "five hundred rupees and more than two thousand rupees and, when a notice has been issued, with a further fine of fifty rupees", the words and signs "two thousand rupees and more than five thousand rupees and when a notice has been issued, with a further fine of five hundred rupees" shall be substituted.
- **19. Amendment of section 134.**—In section 134 of the principal Act, for the words "two thousand five hundred rupees and not more than ten thousand rupees", the words "two thousand rupees and not more than five thousand rupees" shall be substituted.
- **20. Amendment of section 135.**—In section 135 of the principal Act, for the words "five hundred rupees and more than two thousand rupees", the words "two thousand rupees and more than five thousand rupees" shall be substituted.
- **21. Amendment of section 140.**—In section 140 of the principal Act, in sub-section (2), for the words "five hundred rupees and more than two thousand rupees", the words "two thousand rupees and more than five thousand rupees" shall be substituted.
- **22.** Amendment of section 141.—In section 141 of the principal Act, in sub-section (2), for the words "two thousand rupees but shall not be less than five hundred rupees", the words "five thousand rupees but shall not be less than two thousand rupees" shall be substituted.
- **23. Amendment of section 143.**—In section 143 of the principal Act, in clause (c), for the words "five hundred rupees and more than two thousand rupees", the words "two thousand rupees and more than five thousand rupees" shall be substituted.

- **24. Amendment of section 148.**—In section 148 of the principal Act, in clause (c), for the words "five hundred rupees and more than two thousand rupees", the words "two thousand rupees and more than five thousand rupees" shall be substituted.
  - **25.** Amendment of section 149.—In section 149 of the principal act,—
    - (a) in sub-section (1), for the words "five hundred and of one thousand rupees", the words "two thousand rupees and of five thousand rupees" shall be substituted; and
    - (b) in sub-section (3), for the words "may extend to one thousand rupees", the words "shall not be less than two thousand rupees and more than five thousand rupees" shall be substituted.
- **26. Amendment of section 150.**—In section 150 of the principal Act, for the words "one thousand rupees", the words "two thousand rupees" shall be substituted.
- **27. Amendment of section 150-A.**—In section 150-A of the principal Act, in subsection (4), for the words "five hundred rupees for the first offence and seven hundred rupees", the words "two thousand rupees for the first offence and five thousand rupees" shall be substituted
- **28.** Amendment of section 152.—In section 152 of the principal Act, in sub-section (1), for the words "fine which may extend to five thousand rupees", the words "fine not less than two thousand rupees which may extend to five thousand rupees" shall be substituted.
- **29. Amendment of section 159.**—In section 159 of the principal Act, for the words "five hundred rupees and more than two thousand rupees", the words "two thousand rupees and more than five thousand rupees" shall be substituted.
- **30.** Amendment of section 162.—In section 162 of the principal Act, for the words "five hundred rupees and more than two thousand rupees", the words "two thousand rupees and more than five thousand rupees" shall be substituted.
- **31. Amendment of section 166.**—In section 166 of the principal Act, in sub-section (3), for the words "five hundred rupees and more than two thousand rupees", the words "two thousand rupees and more than five thousand rupees" shall be substituted.
- **32.** Amendment of section 172.—In section 172 of the principal Act, in sub-section (4), for the words "five hundred rupees and more than two thousand rupees", the words "two thousand rupees and more than five thousand rupees" shall be substituted.
- **33. Amendment of section 173.**—In section 173 of the principal Act, in sub-section (4), for the words "five hundred rupees and more than two thousand rupees", the words two thousand rupees and more than five thousand rupees" shall be substituted.

- **34. Amendment of section 175.**—In section 175 of the principal Act, in sub-section (3), for the words and sign "five hundred rupees and more than two thousand rupees and when the contravention of non-compliance is a continuing one, with a further fine of fifty rupees", the words and sign "two thousand rupees and more than five thousand rupees and when the contravention of non-compliance is a continuing one, with a further fine of five hundred rupees" shall be substituted.
- **35.** Amendment of section 180.—In section 180 of the principal Act, for the words "one hundred rupees and more than four thousand rupees", the words "two thousand rupees and more than five thousand rupees" shall be substituted.
- **36.** Amendment of section 183.—In section 183 of the principal Act, in sub-section (1), for the words "five hundred rupees and more than two thousand rupees", the words "two thousand rupees and more than five thousand rupees" shall be substituted.
- **37. Amendment of section 184.**—In section 184 of the principal Act, in sub-section (2), for the words "five hundred rupees and more than two thousand rupees", the words "two thousand rupees and more than five thousand rupees" shall be substituted.
- **38.** Amendment of section 191.—In section 191 of the principal Act, for the words "five hundred rupees and more than two thousand rupees", the words "two thousand rupees and more than five thousand rupees" shall be substituted.
- **39.** Amendment of section 192.—In section 192 of the principal Act, in sub-section (1), for the words "five hundred rupees and more than two thousand rupees", the words "two thousand rupees and more than five thousand rupees" shall be substituted.
- **40. Amendment of section 193.**—In section 193 of the principal Act, in sub-section (2), for the words "five hundred rupees and more than two thousand rupees", the words "two thousand rupees and more than five thousand rupees" shall be substituted.
- **41. Amendment of section 196.**—In section 196 of the principal Act, in sub-section (1), for the words "five hundred rupees and more than two thousand rupees", the words "two thousand rupees and more than five thousand rupees" shall be substituted.
- **42. Amendment of section 197.**—In section 197 of the principal Act, for the words "five hundred rupees and more than two thousand rupees", wherever occurs, the words "two thousand rupees and more than five thousand rupees" shall be substituted respectively.
- **43. Amendment of section 198.**—In section 198 of the principal Act, for the words "five hundred rupees and more than two thousand rupees", the words "two thousand rupees and more than five thousand rupees" shall be substituted.
- **44. Amendment of section 199.**—In section 199 of the principal Act, for the words "five hundred rupees and more than two thousand rupees", the words "two thousand rupees and more than five thousand rupees" shall be substituted.

- **45. Amendment of section 200.**—In section 200 of the principal Act, for the words "five hundred rupees and more than two thousand rupees", the words "two thousand rupees and more than five thousand rupees" shall be substituted.
- **46. Amendment of section 207.**—In section 207 of the principal Act, for the words and sign "one thousand rupees and more than five thousand rupees and if after such conviction, he continues to use such building for such purpose shall be liable to a further fine of five hundred rupees", the words and sign "two thousand rupees and more than five thousand rupees and if after such conviction, he continues to use such building for such purpose shall be liable to a further fine of five hundred rupees" shall be substituted.
- **47. Amendment of section 211.**—In section 211 of the principal Act, in sub-section (5), for the words and signs "may extend to five thousand rupees and when the non-compliance is a continuing one, with a further fine, which may extend to five hundred rupees", the words and signs "shall not be less than two thousand rupees which may extend to five thousand and when the non-compliance is a continuing one, with a further fine, which may extend to five hundred rupees" shall be substituted.
- **48. Amendment of section 216.**—In section 216 of the principal Act, for the words and sign "shall extend to five thousand rupees and when the breach is a continuing breach, with a further fine of one hundred rupees", the words and sign "shall not be less than two thousand rupees which may extend to five thousand rupees and when the breach is a continuing breach, with a further fine of five hundred rupees" shall be substituted.
- **49. Amendment of section 221.**—In section 221 of the principal Act, in sub-section (3), in clause (i), for the words "may extend to five thousand rupees", the words "shall not be less than ten thousand rupees and which may extend to twenty thousand rupees" shall be substituted.
- **50. Amendment of section 227.**—In section 227 of the principal Act, for the words "five hundred rupees and more than two thousand rupees", the words "two thousand rupees and more than five thousand rupees" shall be substituted.
- **51. Amendment of section 240.**—In section 240 of the principal Act, for the words "five hundred rupees and more than two thousand rupees", the words "two thousand rupees and more than five thousand rupees" shall be substituted.
  - **52.** Amendment of section 255.—In section 255 of the principal Act,-
    - (a) for sub-section (1), the following shall be substituted, namely:—
      - "(1) The accounts of municipality shall be audited by the Principal Accountant General (Audit), Himachal Pradesh and the Director of State Audit Department who shall have access to relevant information and records of the municipality.";
    - (b) after sub-section (1) the following shall be inserted, namely:—

- "(1A) The annual account of municipality will be certified by the auditors of the State Audit Department, Himachal Pradesh:
  - Provided that the audit of the accounts of municipality shall be conducted under the overall technical guidance and supervision of the Principal Accountant General (Audit), Himachal Pradesh."; and
- (c) for sub-section (3), the following shall be substituted, namely:—
  - "(3)The annual technical inspection report of the Principal Accountant General (Audit), Himachal Pradesh as well as the annual report of the State Audit Department shall be placed before the State Legislature.".
- **53. Amendment of section 271.**—In section 271 of the principal Act, after sub-section (5), the following shall be inserted, namely:-
  - "(6) Notwithstanding anything contained in this section, when on account of the reason that the whole of the municipal area of the Municipal Council is declared as a Municipal Corporation or its inclusion in the existing Municipal Corporation, the State Government shall, by an order published in the Rajpatra (e-Gazette), dissolve the Municipal Council from a date specified in the order.
  - (7) The Members of the Municipal Council(s) which has been dissolved under subsection (6) shall vacate their offices from the date specified in the order of the Government.".
- **54. Amendment of section 304-A.**—In section 304-A of the principal Act, for the words and signs "imprisonment for a term which may extend to three years, or with fine, or with both", the words and signs "imprisonment for a term which may extend to one year, or with fine upto twenty thousand rupees, or with both" shall be substituted.
- **55. Amendment of section 304-B.**—In section 304-B of the principal Act, in subsection (2), for the words and signs "imprisonment for a term which may extend to two years, or with fine, or with both", the words and signs "imprisonment for a term which may extend to one year, or with fine upto twenty thousand rupees, or with both" shall be substituted.
- **56. Amendment of section 304-C.**—In section 304-C of the principal Act, in subsection (1), for the words and signs "imprisonment for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to two thousand rupees, or with both", the words and signs "imprisonment for a term which may extend to one year, or with fine upto twenty thousand rupees, or with both" shall be substituted.
- **57. Amendment of section 304-D.**—In section 304-D of the principal Act, in subsection (4), for the words and signs "imprisonment for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to two thousand rupees, or with both", the words and sign

"imprisonment for a term which may extend to one year, or with fine upto twenty thousand rupees or with both" shall be substituted.

- **58. Amendment of section 304-E.**—In section 304-E of the principal Act, in subsection (2), for the words and sign "imprisonment for a term which may extend to three months, or with fine or with both", the words and sign "imprisonment for a term which may extend to one year, or with fine upto twenty thousand rupees or with both" shall be substituted.
- **59. Amendment of section 304-F.**—In section 304-F of the principal Act, in subsection (3), for the words and signs "imprisonment which may extend to six months, or with fine, or with both", the words and signs "imprisonment for a term which may extend to one year, or with fine upto twenty thousand rupees, or with both" shall be substituted.
- **60.** Amendment of section 304-G.—In section 304-G of the principal Act, in subsection (2), for the words "two hundred and fifty rupees", the words "ten thousand rupees and with further fine which may extend to one thousand rupees for every day during which the offence continues" shall be substituted.
- **61. Amendment of section 304-H.**—In section 304-H of the principal Act, in subsection (2), for the words and signs "imprisonment which may extend to three months, or with fine, or with both" the words and sign "imprisonment for a term which may extend to one year, or with fine upto twenty thousand rupees or with both" shall be substituted.
- **62. Amendment of section 304-I.**—In section 304-I of the principal Act, in sub-section (3), for the words and signs "imprisonment for a term which may extend to three months, or with fine, or with both", the words and sign "imprisonment for a term which may extend to one year, or with fine upto twenty thousand rupees or with both" shall be substituted.
- **63. Amendment of section 304-K.**—In section 304-K of the principal Act, for the words and sign "imprisonment which may extend to three months, or with fine", the words and sign "imprisonment for a term which may extend to one year, or with fine upto twenty thousand rupees or with both" shall be substituted.
- **64. Amendment of section 304-L.**—In section 304-L of the principal Act, in subsection (1), for the words "five hundred rupees", the words "ten thousand rupees with further fine which may extend to one thousand rupees for every day during which the offence continues" shall be substituted.
- **65. Amendment of section 304-M.**—In section 304-M of the principal Act, for the words and signs "imprisonment for a term which may extend to three months, or with fine, or with both", the words and sign "imprisonment for a term which may extend to one year, or with fine upto twenty thousand rupees or with both" shall be substituted.
- **66. Amendment of section 304-N.**—In section 304-N of the principal Act, in subsection (2), for the words and signs "imprisonment for a term which may extend to two years, or

with fine, or with both", the words and sign "imprisonment for a term which may extend to one year, or with fine upto twenty thousand rupees or with both" shall be substituted.

- **67. Amendment of section 304-O.**—In section 304-O of the principal Act, in subsection (1), for the words and signs "imprisonment for a term which may extend to one year, or with fine which may extend to five hundred rupees, or with both", the words and sign "imprisonment for a term which may extend to one year, or with fine upto twenty thousand rupees or with both" shall be substituted.
- **68.** Amendment of section 304-Q.—In section 304-Q of the principal Act, in subsection (3), for the words "five hundred rupees", the words "ten thousand rupees fine with further fine which may extend to one thousand rupees for every day during which the offence continues" shall be substituted.
  - **69.** Amendment of section 304-R.—In section 304-R of the principal Act, -
    - (i) in the marginal heading, after the words "on Polling day", the words "and counting day" shall be inserted;
    - (ii) in sub-section (1), after the words "conclusion of the poll", the words "and on the day of counting" shall be inserted;
    - (iii) in sub-section (2), for the words and signs "imprisonment for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to two thousand rupees, or with both", the words and signs "imprisonment for a term which may extend to one year, or with fine upto twenty thousand rupees, or with both" shall be substituted.
- **70. Amendment of section 304-S.**—In section 304-S of the principal Act, in subsection (2),—
  - (a) in clause (a), for the words and signs "imprisonment for a term which may extend to two years, or with fine, or with both" the words and signs "imprisonment for a term which may extend to one year, or with fine upto twenty thousand rupees, or with both", shall be substituted.
  - (b) in clause (b), for the words and signs "imprisonment for a term which may extend to six months, or with fine, or with both", the words and signs "imprisonment for a term which may extend to one year, or with fine upto twenty thousand rupees, or with both" shall be substituted.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 requires revision to strengthen municipal governance, enhance financial accountability, and align its provisions with contemporary administrative and socio-economic needs. The existing audit structure for municipal accounts needs clearer statutory backing, therefore, the Bill provides for audit under the technical supervision of the Principal Accountant General (Audit), Himachal Pradesh. This is intended to ensure greater transparency, uniformity, and credibility in municipal financial management.

The Bill also clarifies the tenure of members of a municipality whose areas are subsequently included within a Municipal Corporation, thereby removing existing ambiguities. It also streamlines the process of resignation of members by introducing a time-bound procedure for acceptance and mandatory reporting of vacancies. To strengthen municipal revenues, the amendment provides that unpaid user charges shall be treated as arrears of Property Tax.

A large number of fines and penalties under the Act have remained unchanged for a long period and no longer function as an effective deterrent. The Bill rationalises and revises these penalties to make them realistic and enforceable, thereby improving compliance with municipal laws relating to buildings, sanitation, public safety, licensing, and election-related conduct. These amendments collectively aim to modernise the Act, promote fiscal discipline, and strengthen the efficient functioning of Urban Local Bodies in the State.

This Bill seeks to achieve the aforesaid adjectives.

	(VIKRAMADITYA SINGH)  Minister-in-charge.
DHARAMSHALA THE2025	
FINANCIAL MEMORANDUM	
-Nil-	
MEMORANDUM REGARDING DELEGATED	LEGISLATION
-Nil-	

# BILL

further to amend the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 (Act No. 13 of 1994).

	(VIKRAMADITYA SINGH Minister-in-charge
Secretary (Law).	
DHARAMSHALA THE, 2025	